अतिरिक्त न्यायालय संख्या 02, लखनऊ

उपस्थित– रमेश चन्द्र तृतीय

परिवाद संख्या–113250/2022
RBT NO-2540/2022

द्वारा मे0 सन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स लि0............परिवादी
बनाम
आशीष मेडिकल एजेन्सीज.........अभियुक्त/विपक्षी

धारा– 138 एन0आई0एक्ट
थाना– हजरतगंज
जिला– लखनऊ।

दिनांक–06.02.2023

पुकार करायी गयी।

परिवादी द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित ।

परिवादी की ओर से धारा 257 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवाद वापसी हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि परिवादी और विपक्षी पक्ष में आपस में समझौता हो चुका है। विपक्षी ने उसे चेक पर वर्णित धनराशि की अदायगी कर दी है। वह अब परिवाद का संचालन नही करना चाहता है।

सुना व अवलोकन किया गया। आधार पर्याप्त है। प्रार्थनापत्र धारा 257 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी को परिवाद वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार, परिवाद धारा 257 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत निस्तारित किया जाता है।

पत्रावलीं दाखिल दफ्तर हो।

(रमेश चन्द्र तृतीय)
पीठासीन अधिकारी
अतिरिक्त न्यायालय संख्या–02
लखनऊ।